अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क(AIPSN) एवं
भारत ज्ञान विज्ञान समिति (BGVS)
स्कूल शिक्षा और साक्षरता पर जन घोषणा पत्र

---

1. 2011 के जनगणना आंकड़ों के मुताबिक 27% लोग अशिक्षित हैं, जो कि हमारी जनसंख्या के 30 करोड़ से अधिक को शामिल करता है। महिलाओं में साक्षरता की दर मात्र 65% है जिसका अर्थ है कि 35% महिलाएं अभी भी अशिक्षित हैं। दलितों, आदिवासियों, तटीय इलाकों के मछुआरों और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से संबंधित लोगों में साक्षरता की दर काफी कम है। हम वर्तमान स्थिति को कैसे सही ठहरा सकते हैं, खासतौर पर तब जबकि आज़ादी के 71 सालों के बाद भी हमारे देश में 30 करोड़ से अधिक अशिक्षित भाई-बहन मौजूद हैं।

2. UNESCO (यूनेस्को) द्वारा दुनिया भर में जारी की गई द एजुकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2013-2014 (GMR) में भी स्वीकार किया गया है कि अभी तक भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा 287 मिलियन (28 करोड़ 70 लाख) अशिक्षित लोगों की जनसंख्या है, जो कि वैश्विक योग का 37 प्रतिशत है। यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इस तथ्य को रेखांकित करती है कि सर्वाधिक हाशिये पर रहने वाले समूहों के लोगों को दशकों से शिक्षा के अवसरों से वंचित रखा जाना जारी है। रिपोर्ट आगे कहती है कि धनी युवा महिलाओं ने पहले ही वैश्विक साक्षरता का स्तर हासिल कर लिया है लेकिन गरीब महिलाओं के लिए ये सन 2080 के आसपास संभव हो पाने का अनुमान है, यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत के भीतर यह विशाल असमानता सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों की ओर पर्याप्त रूप से समर्थन दे पाने में विफलता की ओर इशारा कर रही है।

3. भारतीय शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है, जिसमें 2014-15 के लिए UDISE के आंकड़ों के मुताबिक कक्षा 1 से 12 तक लगभग 260 मिलियन (26 करोड़) बच्चे पढ़ रहे हैं, यह 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है, 683 ज़िलों में 15 लाख से ज्यादा स्कूल शामिल हैं; लगभग 75% प्राथमिक, 43% सेकेंडरी और 40% हायर सेकेंडरी स्कूलों का स्वामित्व और प्रबंधन सरकार करती है, बाकी के निजी क्षेत्र में हैं, जिनका स्वामित्व और प्रबंधन निजी एजेंसियां करती हैं। 2014-15 के U-DISE आंकड़ों के मुताबिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले 260 मिलियन बच्चों में, प्राथमिक शिक्षा 192 मिलियन (19 करोड़ 20 लाख) बच्चों को शामिल करती है, सेकेंडरी शिक्षा में 38 (3 करोड़ 80 लाख) मिलियन बच्चे हैं और हायर सेकेंडरी शिक्षा में 24 मिलियन (2 करोड़ 40 लाख) बच्चे शामिल हैं। इन आंकड़ों में उच्चतर शिक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चे शामिल नहीं हैं जिसमें 30 मिलियन (3 करोड़) से ज्यादा छात्र शामिल होते हैं। जन शिक्षा ही एकमात्र प्रणाली है जिसका देश के अधिकांश परिवारों से सीधा संपर्क है।

4. वास्तविक संख्या पर कम विश्वसनीय आंकड़ों के साथ आज भी स्कूली आयु वर्ग के लाखों बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं। कई अध्ययनों से स्थापित हुआ है कि कक्षाओं, शौचालय, और पीने का पानी जैसी मूलभूत अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता भी कक्षाओं में उपस्थिति, टिके रहने और सीखने की गुणवत्ता पर असर डालती है। RTE अधिनियम किसी स्कूल के लिए न्यूनतम भौतिक और शैक्षणिक अधोसंरचना निर्धारित करता है। दुर्भाग्य से, अधिकांश सरकारी स्कूल और बड़ी संख्या में निजी स्कूल RTE अधिनियम द्वारा प्रस्तावित मानदंडों को, इनके संपूर्ण अनुपालन की तारीख 31 मार्च 2015 के गुजर जाने के बावजूद पूरा नहीं करते हैं। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले 10 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चे कक्षा 8 तक पहुंचते हैं- यानी) 40% बच्चे कक्षा 8 से पहले ही औपचारिक प्रणाली को छोड़ देते हैं और वे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में सबसे अधिक हैं, 47% बच्चे कक्षा 10 में पहुंचने से पहले तक बाहर निकल जाते हैं। ये आधिकारिक आंकड़े हैं- वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा चिंताजनक है। SC/ST विद्यार्थियों और छात्राओं के पढ़ाई छोड़ने की दर ज्यादा है। भौतिक अधोसंरचना, पेयजल की सुविधाएं और बालिकाओं के लिए शौचालय की सुविधाएं संतुष्टिजनक स्तर से काफी कम हैं। देश में प्राथमिक स्कूलों में 80 लाख से अधिक शिक्षक हैं, और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 20 लाख से अधिक हैं। लगभग 59 % प्राथमिक शिक्षक सरकारी स्कूलों में हैं; इसके बावजूद देश के 8% प्राथमिक स्कूल एकल शिक्षक स्कूल हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि प्राथमिक स्कूलों में 9 लाख से अधिक शिक्षकों की कमी है; लगभग 14% सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में प्रस्तावित न्यूनतम 6 शिक्षक नहीं हैं। शिक्षकों की रिक्तियां सबसे ज्यादा आदिवासी इलाकों में हैं, सुदूरवर्ती गांवों में जहां अपर्याप्त सुविधाओं के कारण शिक्षक तैनाती से हिचकिचाते हैं

5. संपूर्ण रूप से RTE का क्रियान्वयन धीमा रहा है। सरकार द्वारा गंभीरता से लागू की गई एकमात्र योजना गैर- सहायता प्राप्त स्कूलों की स्थापना की अनुमति देना रहा है और कुछ राज्यों ने अपने खुद के पब्लिक स्कूलों को PPP मोड के तहत निजी एजेंसियों को सौंपने का

प्रयास भी किया है। प्राथमिक और सेकेंडरी शैक्षणिक स्तर के बीच में बड़ी संख्या में छात्रों का पढ़ाई छोड़ना एक संकेत है कि RTE अधिनियम और NCF 2005 में प्राथमिक शिक्षा के लिए परिभाषित अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के मापदंडों को पूरा नहीं किया जा रहा है। यह भारत के युवा नागरिकों के कानूनी अधिकार के उल्लंघन का एक उदाहरण है।

6. 2017 में भारत ने अपने GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का मात्र 2.7% शिक्षा पर खर्च किया। संपूर्ण रूप से यह स्कूली शिक्षा के प्रति सरकार की न्यूनतम प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। 1968 और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा योजनाएं, और जैसा कि 1992 में संशोधित किया गया, सभी में शिक्षा पर राष्ट्रीय व्यय के लिए मानक के रूप में GDP के 6% की सिफारिश की गई थी। हालांकि, इन परामर्शों के बावजूद, शिक्षा पर खर्च लगातार इस स्तर के नीचे बना हुआ है। 1951-52 में 0.64% से, 1990-91 में यह अनुपात बढ़कर 3.84% हुआ है। तुलनात्मक रूप से OECD देशों में खर्च का यही स्तर 5.3% के औसत पर है। जबकि क्यूबा अपनी GDP का 18% शिक्षा के लिए देता है, मलेशिया, कीनिया और यहां तक कि मलावी भी 6% के बेंचमार्क को पार करने में समर्थ हुए हैं। दुनिया के सभी देशों के लिए GDP के प्रतिशत के रूप में सरकारी खर्च का औसत भार 4.9% है, जो कि भारत के खर्च से काफी ऊपर है। इस तुलना से साफ तौर पर भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धता पर अमल करने में जानबूझकर की गई उपेक्षा का पता चलता है। आम चुनावों के ठीक पहले 1 फरवरी 2019 को पेश किए गए अंतरिम केंद्रीय बजट में भी शिक्षा के प्रति केंद्र सरकार लापरवाही स्पष्ट है

7. यह साफ संकेत है कि सरकार नव उदार नीतियों के नुस्खे को कायम रखते हुए, सभी बच्चों को शिक्षा देने के अपने कर्तव्य से पीछे हट रही है। और साथ ही नव उदार आकाओं के आदेशानुसार 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' की भ्रामक धारणा के तहत, सरकार अपने स्वयं के स्कूलों और शिक्षकों को कम आंककर, सार्वजनिक संपत्तियों को निजी उद्यमियों और कॉर्पोरेट ताकतों को सौंपने के लिए नीतियां बना रही है।

इस संदर्भ में, हम भारत के लोग मांग करते हैं -

1. **शैक्षणिक नीतियों का गठन संवैधानिक दायित्व पर आधारित होना चाहिए** भारत एक धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है और शिक्षा का मूल दायित्व नागरिकों का पोषण करना है, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और संवैधानिक मूल्यों मे विश्वास के साथ। तैयार की जाने वाली कोई भी शिक्षा नीति संवैधानिक दृष्टि के अनुसार विकसित की जानी चाहिए जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है- समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र। ये पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और शैक्षणिक प्रशासन के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए।

2. **शिक्षा प्रणाली में कोई भी सुधार लोकतंत्र, समानता और धर्म निरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों को कायम रखना चाहिए। सामाजिक न्याय और समानता गैर पराक्रम्य हैं** शैक्षणिक सुधार के लिए एक दृष्टि की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार होंगी:

    i. शिक्षा एक सहायक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि न्यायसंगत और सतत सामाजिक विकास के लिए एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। शिक्षा को धर्मनिरपेक्षता पर आधारित संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखते हुए राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए, धर्म, भाषा और जातीयता के बहुलवाद को बढ़ावा देना चाहिए जो कि भारतीय लोकतंत्र के हिस्से का निर्माण करता है और वैज्ञानिक स्वभाव को अंतर्विष्ट करता है।
    ii. शिक्षा महज एक व्यक्ति-केंद्रित करियर-उन्मुख उद्यम नहीं है। यह एक रचनात्मक सामाजिक प्रयास होना चाहिए। शिक्षा को छात्रों की ज्ञान के निर्माण और विस्तार की क्षमताओं, विवेचनात्मक सोच प्रकटीकरण की क्षमता, और विज्ञान की पद्धति पर आधारित विश्लेषणात्मक और रचनात्मक कौशल को विकसित करना चाहिए।
    iii. शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया को अपने आपमें मजदार एक विवेचनात्म और रचनात्मक गतिविधि के रूप में डिजाइन किया जाना चाहिए, जिसमें शिक्षक और छात्र एक साथ भाग लें। छात्रों के बीच क्षमताओं के विकास को गतिविधि उन्मुख अन्वेषण, पठन, लेखन और प्रस्तुतिकरण, समूह चर्चा, वाद-विवाद, प्रायोगिक गतिविधियों और क्षेत्रीय परियोजनाओं इत्यादि के माध्यम से सुगम बनाना चाहिए।
    iv. शिक्षा एक सांस्कृतिक प्रक्रिया होनी चाहिए। छात्र को एक समझ विकसित करनी चाहिए जो उन्हें व्यापक सामाजिक संदर्भ में उनकी खुद की रुचियों और क्षमताओं का पता लगाने में मदद करे। यह उसे अपने कार्य उपकरण के रूप में करने के बजाय रचनात्मक रूप से करने में सक्षम बनाती है, परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए सामूहिक रूप से काम करना।
    v. इससे एक कैम्पस कल्चर (परिसर संस्कृति) का विकास भी होता है जो कि, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समानाधिकारवादी है, जहां सामाजिक न्याय का आश्वासन होता है और किसी के साथ भी जाति, वर्ग, लिंग, भाषा, धर्म या नस्ल के आधार पर भेदभाव

नहीं होता। वहां पर छात्रों की क्षमताओं के सर्वांगीण विकास के लिए स्थान होगा जो कि जहां तक संभव हो उनकी व्यक्तिगत रुचियों और प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखे।

vi. इस तरह की संरचना में सभी शैक्षणिक मामलों में प्राथमिक निर्णय शैक्षणिक समुदाय में निहित होगा जिसमें शिक्षक और छात्र शामिल होंगे। हालांकि, उन्हें सामाजिक रूप से समुदाय के प्रति जिम्मेदार होना होगा।

3. **RTE अधिनियम के दायरे को जन्म से 18 वर्ष तक, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बचपन की परिभाषा के अनुसार, ECCE, प्री स्कूल और सेकेंडरी के साथ हायर सेकेंडरी शिक्षा को कानूनी अधिकारों के रूप में शामिल करके विस्तारित किया जाए** सभी नागरिकों खासतौर पर 18 साल से कम के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए, वह भी सामाजिक न्याय, निष्पक्षता, समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करके समावेशी शिक्षा। शिक्षा को पड़ोसी स्कूलों के साथ, एक सामान्य स्कूल प्रणाली के माध्यम से, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए। सभी सामाजिक-आर्थिक स्तर के बच्चों को एक ही स्कूल में एक साथ, बगैर किसी भेदभाव के पढ़ना चाहिए। आंगनवाड़ी प्रणाली और केंद्रों को मजबूत करके 3-6 साल की उम्र के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शुरुआती बाल देखभाल और शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और जहां पर भी आवश्यक हो I 3 साल से छोटे बच्चों के लिए आवश्यक देखभाल केंद्र के रूप में ऐसे क्रेच (पालनाघर) भी होना चाहिए, जहां पर कामकाजी माता-पिता अपनी आजीविका के भाग के रूप में काम पर जाते समय अपने बच्चे को आत्मविश्वास के साथ रख सकें।

4. **सच्चे शब्दों और भावनाओ में मानदंडों और मानकों के साथ RTE अधिनियम का पूर्ण अनुपालन और क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार को जवाबदेह बनाएं** NCF 2005 (u/s 7 में अधिसूचित) में परिभाषित गुणवत्ता शिक्षा के मानदंडों के साथ RTE अधिनियम की धारा 8 में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के लिए जनादेश को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा गतिशील रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए और इसकी लगातार और व्यापक निगरानी होनी चाहिए। RTE की भावना को प्राप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के छह घटकों (पाठ्यक्रम और सिलेबस, पाठ्यपुस्तकें और TLMs, शिक्षकों और अधिकारियों का व्यावसायिक विकास, मूल्यांकन, प्रशासनिक सहयोग और सामुदायिक सहभागिता) को विशिष्ट जवाबदेही के साथ, गंभीरतापूर्वक क्रियान्वित किया जाना चाहिए। प्रणाली को समुदाय की रचनात्मक भागीदारी के साथ बच्चे का शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए।

5. **समुदाय के सीमांत वर्गों (SC,ST, गांव की लड़कियों, अल्पसंख्यक समूहों, विस्थापितों इत्यादि) के लिए एक शिक्षा नीति की कठोर समीक्षा और सुधार एक मिशन मोड में किए जाने की आवश्यकता है** इन समूहों के बारे में सभी आंकड़े मामलों की एक दुखद और खेदजनक स्थिति प्रकट करते हैं। लाखों बच्चे अपने शिक्षा के मानव अधिकार से वंचित कर दिए जाते हैं क्योंकि उनके माता-पिता उन्हें स्कूल में रखने में सक्षम नहीं हैं। यह प्रणाली इस समूह के लिए समानतापूर्ण गुणवत्ता वाली शिक्षा की मांग को प्रशासनिक और शैक्षणिक दोनों ही तरह से घोर उपेक्षा करती है। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और सभी संबंधित संसाधन इन सीमांत वर्ग के लोगों के संसाधनों और निहित क्षमता और आवश्यकताओं की कभी पूर्ति नहीं करते हैं। इससे इन सीमांत वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा नीति की कठोर समीक्षा और निर्माण की आवश्यकता पैदा होती है।

6. **सभी विद्यालयों और ECCE केंद्रों में सामाजिक समावेशन और सुरक्षित और सकुशल स्कूल वातावरण के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए कड़े और बारीक निगरानी के कदम उठाएं और आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों और अन्य कमजोर समूहों द्वारा शिक्षा के लिए सामना की जाने वाली बाधाओं का समाधान करें** इसमें उस तरह की शिक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है जो कि सामाजिक न्याय, निष्पक्षता, समानता और गुणवत्ता की उपलब्धियों को प्रदान और वितरित करे।

7. **शिक्षा को एक परिवर्तनकारी शक्ति बनना चाहिए, महिलाओं का आत्मविश्वास निर्मित करना चाहिए, और समाज में उनकी स्थिति में सुधार करना और असमानताओं को चुनौती देना चाहिए** UNESCO का शिक्षा 2030 का एजेंडा मान्य करता है कि लैंगिक समानता के लिए के लिए एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो ' सुनिश्चित करता है कि बालक और बालिकाओं, महिला और पुरुष न केवल संपूर्ण शिक्षा चक्र तक पहुंच प्राप्त करें, बल्कि वे शिक्षा में और उसके माध्यम से समान रूप से सशक्त हों।' गरीबी, भौगोलिक अलगाव, अल्पसंख्यक स्थिति, विकलांगता, बाल विवाह और गर्भावस्था, लिंग आधारित-हिंसा, और महिलाओं की स्थिति और भूमिका के बारे में पारंपरिक सोच,

ऐसी कई बाधाओं में से एक हैं जो कि शिक्षा में महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी, पूरी करने और लाभ लेने के अधिकार के संपूर्ण उपयोग के रास्ते में खड़ी हैं।

8. **18 साल की उम्र तक बाल श्रम का पूरी तरह उन्मूलन सुनिश्चित करें और बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 3 को हटाएं जो कि'पारिवारिक उद्यम' में बाल श्रम को वैध करता है** किसी भी बच्चे को 'पारिवारिक उद्याम' सहित किसी भी स्थापना में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय कानून, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 2016 बच्चे के अधिकारों का एक उल्लंघन है और इसे एक बार में समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह गरीबों के बच्चों के लिए एक अपूर्णीय अन्याय प्रस्तुत करेगा।

9. **'सामान्य स्कूल प्रणाली' सुनिश्चित करें और बहु-स्तरीय शिक्षा प्रणाली से बचें जो शिक्षा में असमानता का कारण बनती है:** प्रत्येक राज्य में स्कूली शिक्षा के लिए एक ही बोर्ड होना चाहिए। और सभी स्कूलों को उस राज्य बोर्ड से संबद्ध होना चाहिए। वर्तमान CBSE स्कूलों या वर्तमान में अन्य बोर्डों से संबद्ध स्कूलों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित राज्य बोर्डों से संबद्ध होना चाहिए (जैसा कि यशपाल कमेटी की रिपोर्ट 'बिना बोझ के शिक्षा' में सलाह दी गई है)। उसके बाद राज्य बोर्ड की संबद्धता के बगैर स्कूलों को किसी राज्य में संचालन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार के स्कूलों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों या राज्य के बाहर स्थानांतरण वाली अन्य नौकरी वाले कर्मचारियों के बच्चों के दाखिले की अनुमति होना चाहिए। लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित होने वाले सभी स्कूलों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

10. **सार्वभौमिक रूप से सहमति प्राप्त शिक्षा वित्तपोषण बेंचमार्क और कोठारी आयोग की सिफारिशों के साथ ही राष्ट्रीय नीतियों की परिकल्पना के अनुसार GDP का 6% उपलब्ध कराएं:** भारतीय शिक्षा में अक्षम्य सीमा तक संसाधनों की कमी रखी गई है। सरकार को एक सतत बढ़ती, विस्तारित होती, उद्विकासी, समावेशी प्रणाली की सभी आवश्यकताओं के लिए, शिक्षा के लिए GDP का 6% सुनिश्चित करना चाहिए जिसमें को भी बच्चा छूट न जाए। हर स्तर पर शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। नीतियों और रणनीतियां लागू करने और आवश्यक वित्तीय प्रावधान करने सहित शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार को उठानी होगी। शिक्षा का निजी प्रावधान सिर्फ सरकारी प्रावधान के अतिरिक्त रूप में होना चाहिए न कि उसके एक विकल्प के रूप में। गैर-लाभकारी धर्म निरपेक्ष परोपकारी संस्थाओं के निजी प्रावधानों पर, उचित मानकों और मानदंडों के माध्यम से,विचार किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा कोई वस्तु नहीं है। यह ज्ञान हासिल करने की सुविधा है, जिसका उपयोग व्यक्ति और समाज के फायदे के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए किसी को शिक्षा में व्यापार करने और लाभ कमाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

11. **RTE की निरस्त धारा 16 को बहाल करना- शिक्षा के लिए बच्चों के मौलिक अधिकार की रीढ़RTE का क्रियान्वयन और गुणवत्तापूर्ण सीखने के माहौल का प्रावधान सुनिश्चित करें, बच्चों को रोके रखने और स्कूल से निकालने के लिए प्रणालीगत'असफलता' के बोझ को न रखें**: यह एक आपत्तिजनक स्थिति है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार केवल बच्चों को शिक्षा से निकालने से ही संभव है। भारतीय संसद ने RTE की धारा 16 में संशोधन किया और एक ऐसी नीति शुरू की जो प्रणाली/स्कूल को परीक्षा आयोजित करके किसी भी कक्षा में रोके रखने में सक्षम करती है। RTE में (1-8 कक्षा में 6-14 साल के बच्चों के लिए) दो अलग-अलग धाराएं हैं, जिनका नाम है धारा 16- कोई भी बच्चा "प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले (किसी कक्षा में) रोका नहीं जाएगा या स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा'; और 30(1)-" प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले किसी भी बच्चे को कोई भी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी "।

सच कहा जाए तो RTE स्कूलों में वार्षिक परीक्षाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहता है जिसके बारे में एक मिथक व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है, कि यह परीक्षा कि अनुमति नहीं देता इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है। RTE इस प्रकार एक स्कूल परीक्षा और एक केंद्रीयकृत परीक्षा के बीच अंतर करता है- प्रथम को सीखने के संदर्भ के निकट होने की आवश्यकता है जो कि बच्चे की संस्कृति, भाषा और माहौल में निहित हो। दूसरी तरफ बोर्ड परीक्षा, एक दूरी पर स्थापित कर दी गई है, उन लोगों के द्वारा जो कि बच्चे के सामाजिक संदर्भ से बहुत दूर हो सकते हैं और यह भी नहीं जानते कि स्कूल में क्या शिक्षण-सीखना हो रहा है। इसके अलावा, बोर्ड परीक्षाएं आमतौर पर प्रतिस्पर्धी होती हैं, और इसलिए उच्च प्रदर्शनकारी छात्रों को भी अधिक तनाव की ओर अग्रसर करती हैं। धारा 16 के लिए आधिकारिक तर्क: 2009 में RTE के साथ आधिकारिक मंत्रालय नोट में धारा 16 के लिए इस प्रकार तर्क दिया गया है कि : "रोके नहीं रखने" का प्रावधान इसलिए बनाया गया है क्योंकि अक्सर परीक्षाओं का इस्तेमाल खराब अंक लाने वाले छात्रों को बाहर करने के लिए किया जाता है। एक बार 'अनुत्तीर्ण' (फेल) घोषित किए जाने पर, बच्चे या तो कक्षा का दोहराव करते हैं या पूरी तरह से स्कूल छोड़ देते हैं। किसी बच्चे को

कक्षा दोहराने के लिए मजबूर करना मनोबल गिराने वाला और हतोत्साहित करने वाला है। कक्षा को दोहराने से किसी बच्चे को फिर से एक साल से लिए उसी पाठ्यक्रम से जूझने के लिए कोई विशेष संसाधन नहीं मिलता है"। यह दावा किया गया कि "हर बच्चे में सीखने की समान संभावना होती है, एक 'धीमा' सीखने वाला या एक 'असफल' बच्चा, उस बच्चे में अंतर्निहित किसी कमी के कारण नहीं है, लेकिन अधिकांशत: सीखने के माहौल और बच्चे की सहायता के लिए आपूर्ति प्रणाली, उसकी क्षमता के अहसास की अपर्याप्तता के कारण है, जिसका अर्थ प्रणाली की विफलता है, न कि बच्चे की। इसके लिए बच्चे को (कक्षा में) रोककर दंडित करने के बजाय प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के समाधान की आवश्यकता है। ऐसा कोई अध्ययन या शोध नहीं है जो सुझाव देता है कि बच्चे के फेल होने से उसकी सीखने की गुणवत्ता में सुधार होता है। बल्कि, कई बार बच्चा स्कूल/सीखना पूरी तरह छोड़ देता है "। यह 2009 में प्रणाली की स्पष्ट स्वीकारोक्ति थी, अपनी स्वयं की गुणवत्ता सुधारने के लिए RTE लाने के लिए। उसने पर्याप्त योग्य शिक्षक, पर्याप्त संसाधन वाले स्कूल, एक सार्थक पाठ्यक्रम, अच्छी प्रेरणादायक पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्रियां, और सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन की एक अच्छी प्रणाली सहित- एक अच्छा सीखने का माहौल उपलब्ध कराने में अपनी खुद की असफलता की जिम्मेदारी ली। ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि RTE का अनुपालन नहीं करने वाले स्कूलों की बड़ी संख्या और उसके क्रियान्वयन में कमी से देखा गया है।

कम से कम संसद सदस्यों का ये कर्तव्य है कि उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों को देखें और ये दस्तावेज उन्हें बताएंगे कि देश में वास्तविक स्थिति क्या है। यह देश को इस प्रकार बताता है

1. 2014-15 में प्राथमिक स्तर पर (स्कूलों में) रुकने की दर 83.7% थी और आरंभिक स्तर पर यह 67.4% जितनी कम थी। मोटे तौर पर कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले प्रत्येक 10 छात्रों में से चार छात्र कक्षा 8 पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ रहे थे। (U-DISE, 2014-15)
2. शिक्षक की अनुपस्थिति प्रत्येक दिन 25% से अधिक आंकी गई है, जिसे छात्रों के सीखने के खराब प्रदर्शन के कारणों में से एक के रूप में पहचाना गया है।
3. देश के लगभग 8% प्राथमिक स्कूल एकल विद्यालय हैं। यह स्थिति मार्च 2015 के बाद भी है जो कि RTE 2009 के सभी पहलुओं का अनुपालन करने की अंतिम तारीख थी।
4. यह अनुमान लगाया गया है कि प्राथमिक स्कूलों में 9 लाख से अधिक शिक्षकों की कमी है; लगभग 14% सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में प्रस्तावित न्यूनतम 6 शिक्षक नहीं हैं। आमतौर पर शिक्षकों की रिक्तियां आदिवासी इलाकों और दूरदराज के गांवों में अधिक हैं जहां पर अपर्याप्त सुविधाओं के कारण शिक्षक तैनात होने से हिचकते हैं।
5. हमारे देश के कुछ राज्यों में बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षक हैं जो कि RTE के मुताबिक पेशेवर तरीके से प्रशिक्षित नहीं हैं। RTE की अनिवार्यता है कि सभी शिक्षक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित हों और निरंतर मूल्यांकन और बच्चों के सीखने सुधार करने में सहायक हों।
6. देश के कई भागों में शिक्षकों की नियुक्ति और स्थानांतरण भ्रष्टाचार का एक बड़ा माध्यम बन गया है। क्या हमें इन सभी प्रणालीगत विफलताओं के लिए बच्चों को जिम्मेदार बनाना चाहिए? लेकिन हमारी संसद के फैसले ने कहा कि ये बच्चे ही हैं जो इस खेदजनक स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। (और इस तथाकथित गुणवत्ता के पराभव को साबित करने के लिए कोई सबूत या तुलनात्मक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है।) यह बहुत स्पष्ट है कि मुद्दा "रोकना या नहीं रोकना नहीं है"। यह एक बड़ा सवाल है कि बच्चे फेल क्यों होते हैं। और उसके लिए जिम्मेदार सभी कौन हैं। और कौन से वह बच्चे हैं और उनकी क्या सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है जिन्हें निकाल दिया गया या व्यवस्था से बाहर कर दिया गया। इसलिए मूल कर्तव्य यह पहचानना है कि बच्चे क्यों पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और छात्रों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी डालने और उन्हें एक जादू की छड़ी "परीक्षा" का उपयोग करके मुख्य धारा की शिक्षा से बाहर धकेलने के बजाय एक सामाजिक रूप से उन्मुख दृष्टिकोण के साथ मुद्दे को हल करने के लिए समाधान खोजना है। यहां पर सरकार- बच्चों को दोषी के रूप में रखकर- न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने की अपनी प्राथमिक भूमिका से पीछे हट रही है जो सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है।

इसलिए एक बार फिर एक बार फिर हमें बहस करनी होगी

1. RTE की धारा 16 की बहाली के लिए
2. 12 साल तक सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए
3. किसी बच्चे को फेल करके कोई भी गुणवत्ता नहीं सुधार सकता ।

12. सरकारी स्कूलों को गैर व्यवहारिक मानते हुए उन्हें बंद करने का काम खत्म करें,उन्हें पुनर्जीवित करें जिन्हेंRTE 2009 के अनुमोदन के बाद बंद कर दिया गया है या फिर किसी अन्य स्कूल के साथ विलय कर दिया गया है

सभी उपलब्ध आंकड़े RTE के अनुपालन में सरकार की विफलता को दर्शाते हैं। लेकिन इसके साथ ही सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी बच्चों को सुलभता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के अपने कर्तव्य से पीछे हट रही है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त रिपोर्टों के

मुताबिक, केंद्र गैर व्यवहारिक का ठप्पा लगाकर और साथ ही "दक्षता बढ़ाने" के भाग के रूप में लगभग 2.6 लाख सरकारी स्कूलों का "स्थान-विशिष्ट विलय या बंद करने इरादा कर रहा है। स्कूलों के विलय और बंद करने के परिणामस्वरूप स्कूल से बाहर निकाले जाने वाले बच्चों, खासतौर पर सीमांत और वंचित समुदाय के बच्चों और लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। बंद करने या विलय की नीति भी RTE अधिनियम के पीछे की मूल भावना का उल्लंघन है, कई राज्यों में; विलय किए गए स्कूल बस्ती के 1 किमी के दायरे से बहुत दूर हैं। बच्चे कई कारणों से नए स्कूल में जाने से हिचकिचाएंगे जैसे कि स्कूल की बढ़ी हुई दूरी, और साथ ही उच्च जातीय इलाकों में सांस्कृतिक कारणों से भी जहां निचली जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भयभीत महसूस करते हैं, और साथ ही सुरक्षा के कारणों से भी। यह 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल सुनिश्चित करने की सरकार की जवाबदेही को बाधित करता है। स्कूलों के विलय का प्रावधान बनाकर या सरकारी स्कूलों को बंद करके निजीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। सुविधाओं की कमी के कारण सरकारी स्कूलों को बंद करने का कठोर कदम उठाने के बजाय, बुनियादी ढांचे और धन के आवंटन के मूल मुद्दे को हल करने लिए उपाय किए जाने हैं और इन स्कूलों में बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सहयोग किया जाना है।

13. **प्रति कक्षा वर्गों में नियमित शिक्षक भर्ती करें** RTE के मानदंडों के मुताबिक शिक्षकों की उपस्थिति और छात्र-शिक्षक संपर्क प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। RTE के 9 सालों के बाद भी सरकार कम से कम दो शिक्षकों के मानदंड को सुनिश्चित कर पाने की स्थिति में भी नहीं है। यदि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं तो प्रत्येक कक्षा वर्ग के लिए एक शिक्षक अपरिहार्य है। शिक्षकों की कमी भारतीय स्कूलों की एक बड़ी बीमारी है। इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक नियुक्त किए जाएं। स्कूलों में प्रत्येक कक्षा में एक शिक्षक जरूर नियुक्त होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा, कला, कार्यात्मक शिक्षा इत्यादि को पाठ्यक्रम का हिस्सा समझा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम के इन हिस्सों के लिए भी शिक्षक नियुक्त होना चाहिए। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं का समाधान करना है और उनकी विशेष आवश्यकताओं के समाधान के लिए योग्य शिक्षक भी आवश्यकता का आकलन करते हुए नियुक्त किए जाना चाहिए।

14. **शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित करें** शिक्षक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने की
    कुंजी हैं। शिक्षा जीवन बदल देती है: यह आर्थिक और सामाजिक विकास की चालक है; यह शांति, सहिष्णुता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देती है; और गरीबी उन्मूलन और व्यक्तिगत पूर्ति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए स्थानीय विशिष्टताओं पर विचार करते हुए, शिक्षकों के रूपांतरण के लिए कार्यक्रम होने चाहिए (शिक्षकों की योग्यता में विकास सहित)।

15. **संविदा शिक्षकों की नियुक्ति करके शिक्षकों का शोषण बंद करें** पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी इत्यादि विभिन्न नामों से संविदा शिक्षकों की भर्ती करने की प्रवृत्ति है, जिन्हें न्यूनतम वेतन शर्तों का पालन नहीं करते हुए कम वेतन दिया जाता है और इस तरह इस वर्ग का शोषण किया जाता है। यह बंद होना चाहिए क्योंकि नियमित शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पूर्व शर्त है।

16. **संविधान में निहित मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक लक्ष्यों के अनुरूप राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें** हमारे जैसे बहुधर्मी, बहु-सांस्क-तिक और बहु-जातीय समाज में इन मूल्यों के अवयवों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से, इन मूल्यों की पहचान किसी खास धर्म से नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक समानता, श्रम का सम्मान, निष्पक्षता और समानता और सामाजिक न्याय और वैज्ञानिक स्वभाव के विचार को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षा कोई साधन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक बदलाव की प्रक्रिया है जो एक न्यायसंगत और सतत सामाजिक विकास के अनुकूल है। राष्ट्र की विविधता को कायम रखते हुए पाठ्यक्रम का विकास करें। पाठ्यक्रम तैयार करते समय, विभिन्न पहलुओं की भिन्नता और विविधता को ध्यान में रखना होगा- भौगोलिक, जलवायु, भाषाई, सांस्कृतिक पहलू। एक संतुलित पाठ्यक्रम में सार्वभौमिक, राष्ट्रीय, उप राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय तत्वों का सामंजस्य होना चाहिए। कुछ सार्वभौमिक तत्व हैं जो हर जगह पाठ्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। राष्ट्रीय तत्व भी हैं जो पूरे देश में समान होने चाहिए। इसलिए, पाठ्यक्रम को प्रत्येक राज्य के लोगों की वास्तविकता और सरोकार प्रदर्शित करना चाहिए। एक लचीला पाठ्यक्रम सामाजिक बदलाव से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए विकसित होता रहेगा। इस तरह तैयार पाठ्यक्रम वंचित वर्गों सहित सभी लोगों के सामाजिक विकास के प्रति लक्षित होना चाहिए। इसलिए निम्नलिखित पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।

    i. सीखने के माध्यम के रूप में मातृभाषा का उपयोग हमें इसे गैर-पराक्रम्य स्थिति के रूप में तय करना होगा। आधुनिक शिक्षा के सभी शैक्षिक सिद्धांत और समझ सीखने के माध्यम के रूप में मातृभाषा के महत्व को कायम रखते हैं। किसी भी समझदार समाज में सीखने की भाषा केवल बच्चे की मातृभाषा हो सकती है। हालांकि, आज के वैश्वीकरण की दुनिया में अंग्रेजी के महत्व पर विचार करते हुए, इसे प्रभावी रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, इसे द्वितीयक या विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए, कई गैर-अंग्रेजी भाषी देशों में अपनाए गए शैक्षणिक विधियों का उपयोग करना चाहिए।

ii. पूरे देश में सभी बच्चों के लिए कोई भी एक भाषा अनिवार्य नहीं करना चाहिएबच्चे को मातृभाषा के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं से परिचित कराने का प्रयास करना चाहिए। मानव में बहु-भाषी सीखने की स्वाभाविक क्षमता होती है, बशर्ते की सीखने के शुरुआती वर्षों में मातृभाषा में एक ठोस नींव रखी जाए।

iii. शिक्षा में सभी सांप्रदायिक एजेंडे और सबूतों द्वारा न समर्थित इतिहास के एक तर्कहीन दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का विरोध करें
लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक समानता, श्रम का सम्मान, निष्पक्षता और समानता और सामाजिक न्याय और वैज्ञानिक स्वभाव के विचार कुछ सार्वभौमिक मूल्य हैं जिन्हें पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए। हमें पाठ्यक्रम संशोधन में सांप्रदायिक घुसपैठ और विचार भरने की भयावह प्रक्रिया का विरोध करना होगा।

iv. ऐसी सीखने का प्रक्रिया अपनाएं जो बच्चे की विवेचनात्मक सोच और विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ाएसीखने की प्रक्रिया बाल-केंद्रित होना चाहिए। 10 जानकारियों को रटकर और दोहराकर सीखने के बजाय ज्ञान और महत्वपूर्ण विश्लेषणत्मक क्षमताओं के निर्माण पर जोर होना चाहिए। शिक्षक की शिक्षा पर इस जोर के परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कक्षा का वातावरण और यहां तक कि आदान-प्रदान की प्रक्रिया भी लोकतांत्रिक होनी चाहिए।

v. बच्चे को वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करने और विज्ञान की विधि को समझने और अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए
सीखने की पूरी प्रक्रिया सीखने वाले को सवाल उठाने के लिए सक्षम करेगी। सीखने का प्रक्रिया सीखने वाली के अन्वेषण और पूछताछ के कौशल को बढ़ावा देना चाहिए। पाठ्यपुस्तकें और अन्य सीखने के संसाधन खुले सिरे वाले होने चाहिए ताकि बच्चा प्रक्रिया के माध्यम से सीखने में सक्षम हो सके। संवैधानिक मानदंडों के अंतर्गत शिक्षा के माध्यम से वैज्ञानिक, तर्कसंगत और विवेचनात्मक सोच को सुनिश्चित करना चाहिए।

vi. उम्र के अनुसार छात्रों को काम की दुनिया के बारे में खुद के अनुभव से सामना कराना चाहिएयह मुद्दा न केवल गरीबों के मामले में स्कूली शिक्षा की बाधाओं को दूर करने के लिए बल्कि जाति आधारित विभाजन के भारतीय संदर्भ में काम के प्रति नए मूल्यों को स्थापित करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। संबंधित दूसरा मुद्दा छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी, ऊर्जा और समाज की नई और उभरती हुई दुनिया के लिए तैयार करने के लिए स्कूल को साधन संपन्न करना है। बेहतर और न्यायपूर्ण भारत के लिए अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी और समाज पर उपयुक्त दृष्टिकोण और कौशल विकसित करना होगा।

17. **सेकेंडरी शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के बीच स्वाभाविक संबंध स्थापित करें**किसी भी राष्ट्र के मुख्य शैक्षिक उद्देश्यों में से एक शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली विकसित करना है जो उसके लोगों को कार्य और जीवन और कौशल और प्रतिभा को विकसित करने की अनुमति देगी, जिसकी उन्हें जीवन भर आवश्यकता होगी। ऐसा करने के लिए सेकेंडरी शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के बीच मजबूत संबंध सुनिश्चित करना होगा। दोनों के बीच स्कूली छात्रों के फायदे के लिए शिक्षक व्यावसायिक विकास और छात्रों के आउटरीच कार्यक्रमों के लिए सहयोग हो सकता है।

18. **विकेंद्रीकृत और गैर-नौकरशाही सरकारी संरचना को अपनाएं**स्कूलों के शैक्षणिक प्रबंधन में स्थानीय निकायों को शामिल करने की संभावना को तलाशा जाना चाहिए। सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने और साथ ही विशिष्ट स्थानीय मामलों के समाधान के लिए शैक्षणिक प्रबंधन का विकेंद्रीकरण अनिवार्य है।

19. **सभी छात्रों के पास आधुनिक शैक्षणिक तकनीकी सुविधाओं तक मुफ्त पहुंच होनी चाहिए**यह ज्ञान का युग है।
आधुनिक तकनीक का उभरता हुआ क्षेत्र हमें बिना त्वरित रूप से उभर रही नवीनतम जानकारियों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है। इसलिए हमें शिक्षा को नए वैश्विक, संचार के संदर्भ में रखना होगा। प्रत्येक बच्चे को अपने सीखने को सक्षम करने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सहित शैक्षणिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच और इसके नि: शुल्क उपयोग का अधिकार होना चाहिए। शिक्षकों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें प्राप्तकर्ता वाले सिरे पर होने के बजाय कंटेंट उत्पादक के रूप में सक्षम किया जा सके। सभी स्कूलों में समान रूप से ICT अधोसंरचना स्थापित की जानी चाहिए। उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मालिकाना सॉफ्टवेयर और विक्रेता-उन्मुख कंटेंट के बजाय, शिक्षाविदों द्वारा प्रदान की गई सामग्री (न कि बाजार की ताकतों द्वारा) के साथ FOSS (मुफ्त और खुले स्रोत वाले सॉफ्टवेयर) आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग होना चाहिए।

20. **शिक्षकों की शिक्षा को पुनर्विकसित किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षक पेशेवर बन सकें**शिक्षकों की शिक्षा और शिक्षकों के रूपांतरण पर प्रमुख जोर दिया जाना चाहिए। सभी स्तरों पर शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में उचित आवंटन और समुचित निवेश किया जाना चाहिए। नियमित अंतराल पर व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों के लिए गुंजाइश होगी।

21. **लोकतांत्रिक अधिकारों और लोकतांत्रिक निकायों को मजबूत करने की गुंजाइश होनी चाहिए**छात्रों को संघ बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। छात्रों को निर्णय लेने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। स्कूल असेंबलियों को लोकसंत्रिक तरीके से गठित किया जाएगा और उनके कार्यों को सुनिश्चित किया जाएगा। अभिभावकों की समितियों को भी मजबूत किया जाएगा।

22. **मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए और कक्षा12 तक सभी बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिया जाना चाहिए** प्रत्येक बच्चे के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए मध्यान्ह भोजन की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाया जाना चाहिए। चूंकि पोषण शारीरिक और मानसिक विकास का एक अनिवार्य घटक है, इसलिए इसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के एक अभिन्न घटक के रूप में देखा जाना चाहिए। उन सभी बिचौलियों को दूर करें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस योजना से फायदा उठा रहे हैं। योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी SMC को दी जानी चाहिए। स्थानीय स्वशासन की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मध्यान्ह भोजन के प्रावधान में काम करने वाले लोगों को पर्याप्त रूप से वेतन मिलना चाहिए।

23. **विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की समुचित देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करें**नियमित स्कूलों में विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सुविधाओं और कर्मचारियों की व्यवस्था निर्मित की जानी चाहिए। शैक्षणिक प्रशासकों और शिक्षकों को CWSN के विषय में संवेदनशील बनाना चाहिए।

24. **अशिक्षा को मिटाने के लिए साक्षरता कार्यक्रमों के सामाजिक चलन को वापस लाएं**देश में अभी भी मौजूद अशिक्षा का प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाना चाहिए। लगभग 30 करोड़ की भारतीय जनसंख्या अभी भी अशिक्षा के अंधेरे चरण में है। संपूर्ण साक्षरता अभियान के अनुभवों के आधार अशिक्षा मिटाने के कार्यक्रम वृहत सामाजिक भागीदारी के साथ तैयार किए जाने चाहिए। सामाजिक क्षमताओं का उपयोग किया जाएगा। और आजीवन शिक्षा के साथ नागरिक शिक्षा का एक नया तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। राज्य संसाधन केंद्र (SRC) जैसे संस्थागत तंत्र को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए और क्षेत्र विशेष के मुद्दों को हल करने के लिए मजबूत करना चाहिए। साक्षरता और नागरिक शिक्षा कार्यक्रम को आजीविका कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा।

25. **एक व्यापक सतत और आजीवन शिक्षा नीति तैयार करें** किसी भी साक्षरता कार्यक्रम की निरंतरता में फॉलो-अप कार्यक्रम भी होने चाहिए। नागरिक शिक्षा कार्यक्रम के साथ सतत और आजीवन शिक्षा का संयोजन करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में राज्यों के परामर्श से एक विस्तृत नीति बनाई जानी है। निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जन संस्थान विकसित करने की गुंजाइश होना चाहिए,

26. **शिक्षा के संचालन में समुदाय, स्थानीय स्वशासन की भागीदारी सुनिश्चित करें** प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक स्वामित्व के लिए समुदाय की भागीदारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ विकेंद्रीकरण के माध्यम से ही संभव है, इस प्रकार राज्य को शिक्षा के संबंध में कार्यक्रम तैयार करने, योजना और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी स्थानीय स्व-सरकारों को सौंपना है।

27. **सभी स्तरों पर कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयनको सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके लिए जवाबदेही सर्वाधिक अनिवार्य है,
प्रणालीगत जवाबदेही से अलग सामाजिक जवाबदेही के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। सामाजिक जवाबदेही के लिए समाज की यह आकलन करने में एक भूमिका होनी चाहिए कि क्या व्यवस्था उद्देश्यों और समय रेखा के अनुसार परिणाम दे रही है, जैसा परिकल्पित किया गया था।

मांगें एक नजर में :

1. शिक्षा की नीतियों का गठन संवैधानिक दायित्व पर आधारित होना चाहिए
2. शिक्षा प्रणाली में कोई भी सुधार लोकतंत्र, समानता और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांत को कायम रखना चाहिए। सामाजिक न्याय और निष्पक्षता गैर-पराक्रम्य हैं
3. कानूनी अधिकार के रूप में उच्च माध्यमिक शिक्षा के साथ ECEC, पूर्वस्कूली और माध्यमिक को शामिल करके, RTE अधिनियम के दायरे को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य बचपन की परिभाषा के अनुसार, जन्म से 18 सालों तक बढ़ाएं
4. सच्चे अर्थ और भावना में मानकों और मानदंडों के साथ RTE अधिनिम के संपूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें और इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार को जवाबदेह बनाएं.

5. समुदाय के सीमांत वर्गों (SC, ST, गांव की लड़कियों, अल्पसंख्यक समूहों, प्रवासियों आदि) के लिए एक मिशन मोड में शिक्षा नीति की कठोर समीक्षा और सुधार किए जाने की आवश्यकता है

6. सभी स्कूलों और ECCE केंद्रों में सकुशल और सुरक्षित स्कूल पर्यावरण के सामाजिक समावेश और प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए कड़े और बारीकी से निगरानी के कदम उठाएं और आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों और अन्य कमजोर समूहों द्वारा शिक्षा के लिए सामना की जा रही विशिष्ट बाधाओं का समाधान करें

7. शिक्षा को एक परिवर्तनकारी शक्ति बनना चाहिए, महिलाओं का आत्मविश्वास निर्मित करना चाहिए, और समाज में उनकी स्थिति में सुधार करना और असमानताओं को चुनौती देना चाहिए

8. 18 साल की उम्र तक बाल श्रम का पूरी तरह उन्मूलन सुनिश्चित करें और बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 3 को हटाएं जो कि 'पारिवारिक उद्यम' में बाल श्रम को वैध करता है

9. 'सामान्य स्कूल प्रणाली' सुनिश्चित करें और बहु-स्तरीय शिक्षा प्रणाली से बचें जो शिक्षा में असमानता का कारण बनती है

10. सार्वभौमिक रूप से सहमति प्राप्त शिक्षा वित्तपोषण बेंचमार्क और कोठारी आयोग की सिफारिशों के साथ ही राष्ट्रीय नीतियों की परिकल्पना के अनुसार GDP का 6% उपलब्ध कराएं

11. RTE की निरस्त धारा 16 को बहाल करना- शिक्षा के लिए बच्चों के मौलिक अधिकार की रीढ़- RTE का क्रियान्वयन और गुणवत्तापूर्ण सीखने के माहौल का प्रावधान सुनिश्चित करें, बच्चों को रोके रखने और स्कूल से निकालने के लिए प्रणालीगत 'असफलता' के बोझ को न रखें

12. सरकारी स्कूलों को गैर व्यवहारिक मानते हुए उन्हें बंद करने का काम खत्म करें; उन्हें पुनर्जीवित करें जिन्हें RTE 2009 के अनुमोदन के बाद बंद कर दिया गया है या फिर किसी अन्य स्कूल के साथ विलय कर दिया गया है

13. प्रति कक्षा वर्गों में नियमित शिक्षक भर्ती करें

14. शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित करें

15. संविदा शिक्षकों की नियुक्ति करके शिक्षकों का शोषण बंद करें

16. संवैधानिक लक्ष्यों के अनुरूप राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें और संविधान में निहित मूल्यों को विकसित करने में बच्चे की मदद करें। और राष्ट्र की विविधता को कायम रखते हुए पाठ्यक्रम का विकास करें- मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करके, यह सुनिश्चित करके कि देश भर में सभी बच्चों के लिए कोई एक भाषा अनिवार्य नहीं की जानी चाहिए, शिक्षा में सभी सांप्रदायिक एजेंडे और इतिहास के तर्कहीन दृष्टिकोण जो कि सबूतों द्वारा समर्थित नहीं हैं उन का विरोध करके, ऐसी सीखने की प्रक्रियाओं को अपनाकर जो बच्चे की विवेचनात्मक सोच और विवेचनात्मक चिंतन बढ़ावा दे और और वैज्ञानिक स्वभाव को समझने और विज्ञान की पद्धति को समझने के लिए बच्चे को बढ़ावा देकर। और उम्र के अनुसार छात्रों को काम की दुनिया के बारे में खुद के अनुभव से सामना कराना चाहिए

17. सेकेंडरी शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के बीच स्वाभाविक संबंध स्थापित करें

18. विकेंद्रीकृत और गैर-नौकरशाही सरकारी संरचना को अपनाएं

19. सभी छात्रों के पास आधुनिक शैक्षणिक तकनीकी सुविधाओं तक मुफ्त पहुंच होनी चाहिए

20. शिक्षकों की शिक्षा को पुनर्विकसित किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षक पेशेवर बन सकें

21.लोकतांत्रिक अधिकारों और लोकतांत्रिक निकायों को मजबूत करने की गुंजाइश होनी चाहिए

22. मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए और कक्षा 12 तक सभी बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिया जाना चाहिए

23. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की समुचित देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करें

24. अशिक्षा को मिटाने के लिए साक्षरता कार्यक्रमों के सामाजिक चलन को वापस लाएं

25. एक व्यापक सतत और आजीवन शिक्षा नीति तैयार करें

26. शिक्षा के संचालन में समुदाय, स्थानीय स्वशासन की भागीदारी सुनिश्चित करें

27. सभी स्तरों पर कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए